

नाम मोकिर : हाफिज सैयद अशरफ उद्दीन अहमद बल्द सैयद सईद उद्दीन मरहुम बहैसियत एकटिंग मोतवल्ली मुस्मात बीबी सोगरा वक्फ इस्टेट मोहल्ल लहेरी याउन व थाना परगना व सब डिविजन व सब रजिस्ट्री बिहार शरीफ जिला व जिला रजिस्ट्री नालन्दा कौम मुस्लिम साकिन मोहल्ला मीरदाद याउन व थाना परगना व सब डिविजन व सब रजिस्ट्री बिहार शरीफ जिला नालन्दा।

नाम मोकिर अलैहः सोगरा कॉलेज, बिहार शरीफ जिला नालन्दा जो सोगरा वक्फ इस्टेट के जरीए कायम किया गया जिसकी इंतेजामिया कमेटी में मुन्दर्जा जैल अश्खास सोगरा वक्फ इस्टेट की जनरल कमिटी के जरीए नामजद किय गए हैं जिसके पैरेन्ट बॉडी (Parentbody) सोगरा वक्फ इस्टेट बिहार शरीफ है और हमेशा रहेगी।

1. डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट नालन्दा सदर।
2. जनाब प्रोफेसर शफी अहमद लाल फाटक बिहार शरीफ नालन्दा।
3. जनाब ऐ मन्नान खॉ दरे नूर बिहार शरीफ नालन्दा।
4. जनाब एस सदर आलम कागजी मोहल्ला बिहार शरीफ नालन्दा।
5. जनाब एस शम्सुद्दीन अहमद मोहल्ला खानकाह शेखपुरा मुंगेर।
6. जनाब एस कयाम उद्दीन अब्दुस समद एडवोकेट बारहदरी बिहार शरीफ नालन्दा।
7. जनाब महमुद आलम साविक मुयुनसिपल कमिशनर बिहार शरीफ नालन्दा।
8. जनाब एम नसीम अख्तर साहेब चेयरमैन बिहार म्युनिसिपल्टी बिहार शरीफ नालन्दा।
9. जनाब मुस्तफा हसन खॉ गढ़पर बिहार शरीफ नालन्दा।
10. जनाब जमील अहमद साहेब बीड़ी मरचेन्ट राम बाजार कल्कत्ता।
11. जनाब मुजफ्फर साहेब मोहल्ला छज्जु बिहार शरीफ नालन्दा।
12. जनाब महमुद आलम साहेब एडवोकेट मेरयम टोला बिहार शरीफ नालन्दा।
13. प्रोफेसर डॉ खुरशीद आलम साहेब मोहल्ल लहेरी बिहार शरीफ नालन्दा।
14. जनाब एस खुरशीद मो० मोहसीन गुलशन मीरदाद बिहार शरीफ नालन्दा।
15. प्रोफेसर डॉ रजीउर रहमान साहेब नालन्दा कॉलेज बिहार शरीफ नालन्दा।
16. सैयद शाह जका हुसैन साहेब दायरा बिहार शरीफ नालन्दा।
17. जनाब हाजी अबु सईद साहेब मोहल्ल सोहडी बिहार शरीफ नालन्दा।
18. मोतवल्ली सोगरा वक्फ इस्टेट बिहार शरीफ नालन्दा। जनाब सैयद अशरफ उद्दीन
19. जनाब एस ऐ साबरी साहेब एम.एल.ऐ चतरा।
20. जनाब कमरुल हसन साहेब मुयुनसिपल कमिशनर बिहार शरीफ नालन्दा।
21. प्रोफेसर इंचारज सोगरा कॉलेज बिहार शरीफ नालन्दा।

(2)

किस्म बसीका : सेटलमेन्ट
 मालियत शैय सेटलमेन्ट : मुबलिग दस हजार रुपया।
 तफसील शैय सेटलमेन्ट : मवाजी आठ एकड़ अराजी हक्कीयत काशत रैयती
 बसेगा नकदी कायमी वाकिय मौजा कोहना सराय अन्दर मोहाल हवीब खॉ डर्फ यठान
 मोहल्ला टाउन व थाना परगना सब डिविजन व सब रजिस्ट्री बिहार शारीफ जिला व
 जिला रजिस्ट्री नालन्दा अन्दर इलका एनसिपिल्टी बिहार शरीफ तौजी नं०-10701
 -थाना नं०- 123

खाता नं०	खसरा नं०	एकड़	डी०
90	693	3	84
"	694	0	5
"	804	0	21
"	695	0	3
"	805	0	6
"	806	0	36
86	672	0	17
"	657	0	26
"	696	0	12
"	703	0	32
"	704	0	86
"	712	0	15
"	715	0	22
"	716	0	46
79	669	0	36
"	757	0	20
"	656	0	27
"	673	0	6
		8	00

अज आजों कि सोलह आना अराजीयात शैय सेटलमेन्ट हाजा हक्कीयत काशत रैयती बसेगा नकदी कायमी बीबी सोगरा वक्फ इस्टेट मोहल्ला लहरी बिहार शरीफ जिला नालन्दा की है और इस वक्त तक बला मोजाहेमत व मुदाखेलत दीगरे व बिला शिरकतुल गैरे कब्जा दखल में वक्फ इस्टेट मोहल्लाह बिहार शरीफ जिला नालन्दा बतौलियत मनमोकिर एकटींग मोतवल्ली के है जिसकी रसीद जमीनदारी बिहार सरकार से बनाम सोगरा वक्फ इस्टेट बिहार शरीफ के कटती आ रही है सोगरा वक्फ इस्टेट की जनरल कमिटि मोरखा 5 अगस्त 1978 ई० के नशीसत में एक अकलीयती कॉलेज सोगरा वक्फ इस्टेट के जरीए खोले जाने का रिजुलेशन ब इतेफाक राय पास किया और यह भी तैय पाया कि अराजीयात शैय सेटलमेन्ट पर कॉलेज की इमारत बनाई जाय मज़ीद 9 जुलाई 1979 ई० को सोगरा वक्फ इस्टेट की जनरल कमिटि ने ब इतेफाक राय यह तजवीज पास की के आराजीयात शैय सेटलमेन्ट की रजिस्ट्री सोगरा कॉलेज बिहार शरीफ के नाम कर दी जाय और इसकी इजाजत बिहार स्टेट सुन्नी वक्फ बोर्ड हासिल करनी चाहिए जो बिहार स्टेट सुन्नी वक्फ बोर्ड पटना के खत नं० एस.डब्ल्यू.बी./19 के नं० 15 बी.(के)2 नं०-2756 तारिख 10.10.79 के रू से आराजीयात मज़कुर बाला को सोगरा कॉलेज बिहार शरीफ को रजिस्ट्री करने की इजाजत दी जाय सोगरा कॉलेज एक मुस्लिम अकलीयती इदारा है और जो सोगरा वक्फ इस्टेट के जरीए कायम किया गया है और जिसका नज़म व नसक सोगरा वक्फ इस्टेट के जेरे इंतेजाम है। कॉलेज मोसूफ की इमारत हॉस्टल क्वाटर व दीगर और जरूरीयात कॉलेज के लिए के लिए सेटलमेन्ट कर दिया।

चुनांचे मनमोकिर ने सोगरा वक्फ इस्टेट की जनरल कमिटि के रेजुलेशन नं०-6 व 7 तारिख 5 अगस्त 1978 ई० व रेजुलेशन नं०-4 तारिख 9 जुलाई 1979 ई० बिहार स्टेट सुन्नी वक्फ बोर्ड के इजाजत नामा के बिना पर हस्के जैल एकरार करता हूँ और लिख देता हूँ।

1. मनेमोकिर ने सोलह आना अराजीयात शैय सेटलमेन्ट को जिसकी मालीयत तखीनन मुबलिग दस हजार रूपया है बराये तामिर इमारत हॉस्टल क्वाटर व अखाजात सोगरा कॉलेज बिहार शरीफ जिला नालन्दा को सेटलमेन्ट किया।
2. मनेमोकिर ने अराकिन इंतेजामिया सोगरा कॉलेज बिहार शरीफ जिला नालन्दा को सोलह आना अराजीयात शैय सेटलमेन्ट हाजा पर बहाल व बकायम मोकाम खुद काबिज दखिल गरदाना।

लाजिम है कि अराकिन इंतेजामिया कमिटि सोगरा कॉलेज बिहार शरीफ जिला नालन्दा मोजूदा या आईन्दा बहैसियत इंतेजामिया कमिटि सोगरा कॉलेज बिहार शरीफ जिला नालन्दा काबिज दखिल होकर रहकर आमदनी अराजीयात शैय सेटलमेन्ट को जरूरीयात सोगरा कॉलेज में खर्च किया करें और जहाँ कहीं भी जरूरत हो सोगरा कॉलेज का नाम दर्ज करा लेवें और कॉलेज अपनी इमारत हॉस्टल क्वाटर वगैरह की तामिर करें।

3. वाजेह हो कि जुज़ या कुल अराजीयात शैय सेटलमेन्ट हाजा किसी वक्त और किसी हाल में भी किसी रुकन इंतेजामिया कमिटी की जाती हैसियत नहीं होगी और न उन के वारिसान कायम मोकामयान की मौखिकी हैसियत होगी और अब मनेमोकिर व कायम मोकामयान मनेमोकिर को जुज़ या कुल अराजीयात शैय सेटलमेन्ट में किसी किस्म का कोई सरोकार व वास्ता नहीं रहा और न आईन्दा होगा।

4. वाजेह हो कि वसीका हाजा का नफाज आज मरकुमा तारिख रजिस्ट्री के दिन से होगा अगर खोदा न खास्ता आईन्दा कॉलेज मोताजक्करा हाजा किसी बिना पर न चल सके तो वैसी हालत में सेटलमेन्ट शृदा जायदाद सोगरा वक्फ इस्टेट लहरी मोहल्ला बिहार शरीफ नालन्दा के कब्ज व दख्ल में चली जाएगी।

इस वास्ते वसीका सेटलमेन्ट हाजा लिख दिया कि वक्त जरूरत काम आवे फक्त।

तहरीर बतारिख पंजुम (5) माह दिसम्बर 1979 ई० मुताबिक माह पूस 1387 फसली